शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 10.07.2024

पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुखविर की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में पुवायाँ पुलिस द्वारा द्वारा मुखविर की सूचना पर नाबालिग लड़की को वहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तारः -

संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 10.07.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना हाजा के मु0अ0सं0 432/2024 धारा 137(2)/65(1)/127(2)/351(3) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुखराज सिंह निगोही रोड पर बनी मस्जिद गेट के सामने रोड पर खडा है कही जाने की फिराक मे है आने जाने वाले वाहनो को हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा है पुलिस वालो द्वारा मुखबिर की बात पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर खास ने दूर से ही इशारा कर बताया की वह व्यक्ति हैं और मुखबिर इशारा कर चला गया पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर भागने का मौका दिये बगैर इस व्यक्ति को मौके पर ही पकड लिया। नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम मुखराज सिह पुत्र स्व0 रामनरेश उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम भिलावा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर जाति यादव बताया जामा तलाशी से पहने लोअर की दाहिनी जेब से आधार कार्ड की छायाप्रति व 80 रुपये नगद बरामद हुए। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर इसे इसके जुर्म मु0अ0सं0 432/2024 धारा 137(2)/65(1)/127(2)/351(3) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट से अवगत कराकर समय करीब 11.10 बजे जायज हिरासत पुलिस लिया गया। जिसको बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुखराज सिह पुत्र स्व0 रामनरेश उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम भिलावा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

1. मु0अ0सं0 432/2024 धारा 137(2)/65(1)/127(2)/351(3) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.प्र0नि0 श्री प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2.व0उ0नि0 श्री सकतावत सिह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3.का0 180 निर्दोष कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2627 राहुल कसाना थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
5.म0का0 2852 जूली चौधरी थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर